पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
डिवीजनल मैनेजर न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

नीलम कुमारी और अन्य

24 अक्टूबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्त मिश्रा)

विचार के लिए मुद्दा

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत दायर की गई, जिसमें ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें दावाकर्ताओं को ₹65,48,760/- मुआवजे के रूप में दिए जाने का आदेश पारित किया गया था और बीमा कंपनी को उक्त राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

हेडनोट्स

दुर्घटना चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण हुई, और जिस वाहन से दुर्घटना हुई, वह बीमा कंपनी के साथ बीमित था। यदि ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एफआईआर की सामग्री के विपरीत हैं, तो ट्रिब्यूनल के समक्ष दर्ज साक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाएगा। (पैरा 20)

यदि आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 और 3 के बीच है, तो मृतक की व्यक्तिगत और जीवन-यापन की आवश्यकताओं के लिए आय का एक-तिहाई भाग काटा जाएगा। ट्रिब्यूनल द्वारा एक-तिहाई कटौती उचित मानी गई और इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई। (पैरा 30)

दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 43 वर्ष थी, इसलिए मल्टीप्लायर 14 (आयु समूह 41-45 वर्ष के लिए) लागू होगा, न कि 15। (पैरा 32)

परंपरागत और अन्य मुआवजे के संदर्भ में ट्रिब्यूनल ने उचित राशि नहीं दी, इसलिए इसमें संशोधन आवश्यक है। (पैरा 34)

दावाकर्ताओं को ₹55,06,562/- का कुल मुआवजा सरल ब्याज के साथ दावा दायर करने की तारीख से दिया जाएगा। (पैरा 35)

न्याय दृष्टान्त

शमन्ना एवं अन्य बनाम डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2018) 9** एससीसी **650;** परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य **(2019) 7** एससीसी **217;** कुर्वन अंसारी उर्फ कुर्वन अली बनाम श्याम किशोर मुम्मू **(2022) 1** एससीसी **317;** नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य **(2004) 3** एससीसी **297;** मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2017) 14** एससीसी **663;** सर्ला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य **(2009) 6** एससीसी **121;** नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य **(2017) 16** एससीसी **680;** मीनाक्षी बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2024** एससीसी ऑनलाइन एससी **1872);** नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नलिनी एवं अन्य **(2024** एससीसी ऑनलाइन एससी **2252);** न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोमवती एवं अन्य **(2020) 9** एससीसी **644;** मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम **(2018) 18** एससीसी **130;** यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर **@** सतविंदर कौर एवं अन्य **(2021) 11** एससीसी **780;** और रोजलाइन नायक एवं अन्य बनाम अजीत साहू एवं अन्य **(2024** एससीसी ऑनलाइन एससी **1901)**

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988- धारा 140, 149, 166, 173, 2(15), 10; भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)- धारा 279, धारा 304-ए; दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) धारा 173|

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम; मुआवजा; पटना उच्च न्यायालय; विविध अपील; बीमा कंपनी; दुर्घटना; दावेदार; न्यायाधिकरण

प्रकरण से उत्पन्न

2019 की मध्यवर्ती आवेदन संख्या 01

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री अशोक प्रियदर्शी, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री आलोक कुमार @ आलोक कुमार शाही, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील संख्या 904

==========

डिवीजनल मैनेजर न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड संभागीय कार्यालय पोद्दार कॉम्प्लेक्स क्लब रोड मिठनपुरा मुज़फ़्फ़रपुर, उप प्रबंधक के माध्यम से तल बी एस एफ सी भवन फ्रेज़र रोड, पटना।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. नीलम कुमारी, पति स्वर्गीय विजय कुमार जायसवाल, निवासी- डाक सुपौल, थाना सुपौल, जिला सुपौल

2. निवेदिता, पिता स्वर्गीय विजय कुमार जायसवाल, निवासी- डाक सुपौल, थाना सुपौल, जिला सुपौल

3. दिव्यांश, पिता स्वर्गीय विजय कुमार जायसवाल, निवासी- गाँव के निवासी डाक सुपौल, थाना सुपौल, जिला सुपौल

4. कृष्णा, पिता सुरेंद्र राय, निवासी- गांव शेरपुर डाक, बेला जिला मुजफ्फरपुर

.....

उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री अशोक प्रियदर्शी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री आलोक कुमार @ आलोक कुमार शाही, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्त मिश्रा

सी. ए. वी. जजमेंट

दिनांक: 24-10-2024

<u>रीः2019 का आई. ए. संख्या 01 (परिसीमन याचिका)</u>

1. यह मध्यवर्ती आवेदन संख्या 01/2019 अपीलकर्ता द्वारा इस विविध अपील को दायर करने में 97 दिनों के विलंब को क्षमा करने के लिए दायर किया गया है।

2. यह आवेदन हलफनामे के साथ समर्थित है।

3. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को इस आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और आवेदन में दिए गए कथनों पर विचार करने के बाद और न्याय के हित में, मध्यवर्ती आवेदन संख्या 01/2019 को अनुमति दी जाती है।

5. वर्तमान विविध अपील संख्या 904/2018 के संबंध में दायर करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

<u>रीः-विविध अपील संख्या 904 वर्ष 2018</u>

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को भी सुना गया।

7. यह विविध अपील न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "बीमा कंपनी" कहा जाएगा) की ओर से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 173 के अंतर्गत दायर की गई है। यह अपील विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

अष्टम-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर (जिसे आगे "विद्वान न्यायाधिकरण" कहा जाएगा) द्वारा दावा वाद संख्या 161/2013 में पारित दिनांक 23.01.2018 के निर्णय और दिनांक 31.01.2018 के पंचाट के विरुद्ध दायर की गई है।

8. विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि दावेदार (प्रतिवादी संख्या 1 से 3) मुआवजे के रूप में 65,48,760/- रुपये प्राप्त करने के हकदार हैं और तदनुसार अपीलकर्ता/बीमा कंपनी को उक्त मुआवजे की राशि का भुगतान दो महीने के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। आदेश की तिथि के साथ-साथ दावा दायर करने की तिथि अर्थात 22.04.2013 से मुआवज़ा राशि की प्राप्ति तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय होगा।

9. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 19.06.2012 को मृतक विजय कुमार जायसवाल पंजीकरण संख्या बीआर 06 पीबी0315 (जिसे आगे 'दुर्घटनाग्रस्त वाहन' कहा जाएगा) वाली जीप से मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जा रहे थे। इस बीच, जब वे राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के पास बजरंग लाइन होटल के सामने मुस्लिम टोला छाप पर पहुँचे, तो उक्त जीप, अपने चालक राज कुमार द्वारा तेज़ी और लापरवाही से चलाई जा रही थी, और सड़क के किनारे खड़ी एक जेसीबी से टकरा गई, जिससे मृतक को गंभीर चोटें आईं, उसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल, मोतिहारी भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना के संबंध में पिपरा मुजफ्फरपुर थाना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 और 304-ए के तहत मामला संख्या 160/2012 दर्ज किया गया था। घटना के समय मृतक की आयु लगभग 43 वर्ष थी और वह नवोदय विद्यालय, पूर्णिया में शिक्षक के रूप में कार्यरत था।

10. दावेदार संख्या 1 मृतक की पत्नी है, जबकि दावेदार संख्या 2 और 3 मृतक के नाबालिग बच्चे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व उनकी माँ अर्थात् दावेदार संख्या 1 द्वारा किया जा रहा है।

11. दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मालिक अर्थात् ओ.पी. संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 4 नोटिस पर उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ओ.पी. संख्या 2/अपीलकर्ता 08.07.2014 को उपस्थित हुए और लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया कि दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका विचारणीय नहीं है और यह पक्षों के गलत संयोजन और गैर-संयोजन

से प्रभावित है। आगे कहा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या बी आर 06 पी बी 0315 है, का बीमा कंपनी द्वारा विधिवत बीमा किया गया था, जिसकी बीमा पॉलिसी संख्या 540500311110100002782 दिनांक 21.02.2012 से 20.02.2013 तक ओ.पी. संख्या 1, अर्थात् उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक के नाम पर वैध थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि यह जे.सी.बी. मशीन और दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीच सहभागी लापरवाही का मामला है, इसलिए बीमा कंपनी मुआवजे की राशि का केवल 50% ही देने के लिए उत्तरदायी है। यह भी कहा गया है कि यदि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और रूट परमिट वैध नहीं पाया जाता है या दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो बीमा कंपनी, यदि कोई हो, तो, दी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

12. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दलीलों और प्रस्तुतियों के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए:-

i. क्या दावा मामला सुनवाई योग्य है?

ii. क्या दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या बी आर 06 पी बी 0315 के चालक की लापरवाही और तेज़ गति से वाहन चलाने के कारण, बजरंग लाइन होटल के पास, पिपरा थाना, जिला पूर्वी चंपारण, विलंग मुस्लिम टोला चैप में हुई थी?

iii. क्या मृतक बिजय कुमार जायसवाल की मृत्यु मोटर दुर्घटना में हुई थी और पिपरा थाना कांड संख्या 160/2012 दिनांक 28.06.2012 को किस आधार पर पंजीकृत किया गया था?

iv. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य वाहन संबंधी दस्तावेज़, परमिट, दुर्घटना के समय टैक्स टोकन और दुर्घटना की तारीख थी?

v. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस सी. लिमिटेड के पास दुर्घटना की तिथि और समय पर था?

vi. क्या आवेदक मुआवज़ा पाने के हकदार हैं? मुआवज़े की राशि कितनी होगी और किससे?

vii. क्या आवेदक प्रार्थना के अनुसार पुरस्कार पाने के हकदार हैं?

13. दावेदारों ने अपने दावे के समर्थन में तीन गवाहों, अर्थात् सीडब्ल्यू-1 अर्जुन मंडल (प्रत्यक्षदर्शी), सीडब्ल्यू-2 धर्मेंद्र कुमार (प्रत्यक्षदर्शी), और सीडब्ल्यू-3 नीलम कुमारी (दावेदार संख्या 1) से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य (प्रसार 1 से 5) भी दाखिल किए, अर्थात् मृतक का मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (प्रसार 1), मृतक के पोस्टमार्टम की कार्यवाही का प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रसार 2 और 2/1), जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्णिया द्वारा जारी मृतक का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (प्रसार 3), पिपरा मुजफ्फरपुर थाना की एफआईआर की प्रमाणित प्रति। वाहन चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304A के अंतर्गत वाद संख्या 160/2012 राइनो (सोनालिका) जीप टैक्सी पंजीकरण संख्या बी आर 06 पीबी 0315 (प्रविष्ट 4) और पिपरा मुजफ्फरपुर थाना में आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति। दुर्घटनाग्रस्त वाहन के उक्त चालक के विरुद्ध वाद संख्या 160/2012 (प्रविष्ट 5)।

14. अपीलकर्ता/बीमा कंपनी की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। हालाँकि, दावेदारों के दावे का खंडन करने के लिए, बीमा कंपनी ने दो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, अर्थात् दुर्घटनाग्रस्त वाहन के परमिट की सत्यापन रिपोर्ट (प्रविष्ट A) और दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में डीटीओ प्रमाणपत्र (प्रविष्ट B)।

15. पक्षों की सुनवाई और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद, विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक की मृत्यु, दुर्घटना की तिथि को वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक चालक की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई। उपर्युक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवादित वाहन दुर्घटना की तिथि को अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के पास विधिवत बीमाकृत था। इस प्रकार, बीमा कंपनी को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दावेदारों को मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया:

क्रमांक	**शीर्ष**	**गणना**	**मुआवजा (रु.)**

1	मृतक का मासिक वेतन	----	₹ 39,173/-
2	मृतक की शुद्ध वार्षिक आय	₹ 39,173/- x 12	₹ 4,68,876 -
3	व्यक्तिगत और जीवनयापन व्यय के लिए 1/3 कटौती	₹ 4,68,876-₹ 1,56,292	₹ 3,12,584 -
4	कुल वार्षिक आय	----	₹ 3,12,584 -
5	गुणक (मृतक की आयु लगभग 43 वर्ष है)	15	----
6	निर्भरता की हानि	₹ 3,12,584 x 15 ₹ 46,88,760/-	

7	भविष्य की संभावनाएं	----	₹ 15,00,000/-
8	संपत्ति की हानि	----	₹ 1,00,000 -
9	प्यार और स्नेह की कमी	₹ 50,000/- x2	₹ 1,00,000 -
10	जीवनसाथी का नुकसान	----	₹ 1,00,000 -
11	अंतिम संस्कार का	----	₹10,000/-

	व्यय		
12	कुल क्षतिपूर्ति राशि		₹65,98,760/-
13	अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत अंतरिम मुआवज़ा घटाकर		Rs.50,000/-
14	**कुल देय मुआवजे की राशि**		**Rs.65,48,760/-**

16. न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि अंतरिम अधिनियम की धारा 140 के तहत 50,000/- रुपये का अधिनिर्णय दिनांक 18.09.2014 के आदेश द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका भुगतान अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा दावेदार संख्या 1 को किया गया था।

17. अपीलकर्ता, आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं और व्यथित होने के कारण, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 23.01.2018 और दिनांक 31.01.2018 के अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए वर्तमान अपील दायर की।

18. अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय एफआईआर की अनदेखी करके गलती की है, जिसमें कहा गया है कि यह मिलीभगत का मामला था। विद्वान वकील ने आगे दलील दी है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने इस तथ्य की अनदेखी करके गलती की है कि यह सहभागी लापरवाही का मामला है और संपूर्ण मुआवज़ा बीमा कंपनी द्वारा बीमित एक वाहन पर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने आगे दलील दी है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने एक्सटेंशन-ए की अनदेखी की है जिसमें कहा गया है कि संबंधित वाहन के संबंध में जमा किया गया परमिट फर्जी था क्योंकि सत्यापन में इसे जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा असली नहीं पाया गया था और इसी तरह, इस तथ्य की भी अनदेखी की गई कि चालक वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं था।

तदनुसार, विद्वान न्यायाधिकरण को बीमा कंपनी के पक्ष में वसूली का अधिकार प्रदान करना चाहिए था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक के वास्तविक वेतन पर विचार करते समय, कर कटौती किए बिना, पुरस्कार राशि की गणना करने में गलती की है। विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की आयु 43 वर्ष मानते हुए भविष्य की संभावनाओं के रूप में 50% प्रदान करते समय भी गलती की है, जो कानून के अनुसार मान्य नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रेम और स्नेह, संघ और अंतिम संस्कार व्यय जैसे पारंपरिक मदों के तहत बड़ी राशि प्रदान करने में गलती की है, जो 70,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

19. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने 23.01.2018 के निर्णय द्वारा, मृतक की एफआईआर, आरोप पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वेतन प्रमाण पत्र सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए, मुआवजे की राशि का सही ढंग से आदेश दिया है। उन्होंने आगे दलील दी है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन दुर्घटना की तारीख और समय पर अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के पास विधिवत रूप से बीमित था और बीमा कंपनी ने भी न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में इसे स्वीकार किया है। न्यायाधिकरण ने सही माना है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना की तारीख और समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। विद्वान वकील ने आगे दलील दी है कि मृतक एक सरकारी कर्मचारी था और जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्णिया में शिक्षक के रूप में कार्यरत था, इसलिए न्यायाधिकरण ने पारंपरिक मदों के दायरे में आश्रितता की हानि और अन्य राशि की गणना सही ढंग से की है।

20. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंदी दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के बाद, यह साबित होता है कि मृतक की मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त वाहन के तेज और लापरवाही से चलाने के कारण हुई, जिसका बीमा घटना के समय बीमा कंपनी के पास था। दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच पूरी होने पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है, जिसे दावेदार के गवाहों ने भी साबित किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि सीडब्ल्यू-1

और सीडब्ल्यू-2 घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। दुर्घटना का तथ्य प्राथमिकी से भी साबित किया जा सकता है। वाहन चालक की ओर से लापरवाही और उतावलेपन का सबूत अधिनियम की धारा 166 के तहत आवेदन दायर करने के लिए अनिवार्य है। यह सर्वविदित है कि यदि विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य प्राथमिकी की विषयवस्तु के विपरीत है, तो विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष दर्ज साक्ष्य को प्राथमिकी की विषयवस्तु पर महत्व दिया जाना चाहिए। जहां चालक पर सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, वहां यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना उसकी उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई। रिकॉर्ड में कोई विपरीत साक्ष्य नहीं है। इस मामले में किसी अन्य वाहन या व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की सहभागी लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सहभागी लापरवाही का तर्क मान्य नहीं है।

21. 'भुगतान और वसूली सिद्धांत' के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शमन्ना एवं अन्य बनाम डिवीजनल मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2018) 9 एससीसी 650** में यह माना कि यदि अपराधी वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो 'भुगतान और वसूली' के सिद्धांत के तहत बीमा कंपनी को पीड़ित को भुगतान करने और फिर अपराधी वाहन के मालिक से राशि वसूलने का निर्देश दिया जा सकता है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में **(2019) 7 एससीसी 217** में रिपोर्ट किए गए और **कुर्वन अंसारी उर्फ कुर्वन अली बनाम श्याम किशोर मुम्मू (2022) 1 एससीसी 317** में रिपोर्ट किए गए मामले में भी 'भुगतान करें और वसूलें' के सिद्धांत का पालन किया गया है, जहाँ उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

23. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य (2004) 3 एससीसी 297** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने अधिनियम की धारा 149 की व्याख्या पर विचार किया। यह देखा गया कि एक बीमा कंपनी जो अपनी देयता से बचना चाहती है, उसे न केवल यह दिखाना आवश्यक है कि धारा 149(2)(क) और (ख) में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, बल्कि यह भी स्थापित करना आवश्यक है कि

बीमित व्यक्ति की ओर से उल्लंघन हुआ है। बीमाधारक की ओर से इस तरह के उल्लंघन को बीमाकर्ता द्वारा यह सिद्ध करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए कि बीमाधारक ने प्रावधान का उल्लंघन करते हुए बीमाकृत वाहन का उपयोग किया, करवाया या करने दिया। इसे बीमाधारक द्वारा कानून का जानबूझकर उल्लंघन साबित करना होगा। आगे यह भी देखा गया है कि कानून का यह प्रस्ताव अब एकीकृत नहीं है कि उल्लंघन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को इसे साबित करना होगा, बीमा उल्लंघन को ठोस सबूतों से साबित करना होगा और यदि कोई बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रहती है कि बीमाधारक की ओर से पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड में (2017) 14 एससीसी 663** में रिपोर्ट किया कि अधिनियम की धारा 10 के अनुसार चालक को वाहनों के वर्ग के संबंध में लाइसेंस रखना आवश्यक है, न कि वाहन के प्रकार के संबंध में। एक वाहन वर्ग में, विभिन्न प्रकार के वाहन हो सकते हैं। यदि वे एक ही वाहन वर्ग में आते हैं, तो ऐसे वाहन को चलाने के लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। चूंकि एल.एम.वी. लाइसेंस में परिवहन वाहन भी शामिल है, एल.एम.वी. लाइसेंस धारक इस वर्ग के सभी वाहन चला सकता है जिसमें परिवहन वाहन भी शामिल है। परिवहन वाहन में शामिल हैं मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन, भारी माल वाहन, भारी यात्री मोटर वाहन। एक परिवहन वाहन और ओमनीबस, जिसका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, एल.एम.वी. होगा और मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड-रोलर, जिसका 'बिना भार' 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है और धारा 10 (2) (डी) में दिए गए अनुसार "हल्के मोटर वाहन" वर्ग को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारक एक परिवहन वाहन या ओमनीबस चलाने के लिए सक्षम है, जिसका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है या एक मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड-रोलर, जिसका बिना भार वाला वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। अर्थात्, ऊपर उल्लिखित एल.एम.वी. परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस पर किसी अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

25. मुकुंद देवांगन ***(सुप्रा)*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक परिवहन वाहन, जिसका सकल भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, एल.एम.वी. होगा और धारा 10 (2) (डी) के तहत एल.एम.वी. श्रेणी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारक, परिवहन वाहन के रूप में उस वाहन को चलाने के लिए सक्षम है, जिसका सकल भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। शब्द सकल वाहन भार को अधिनियम की धारा 2 (15) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है, किसी भी वाहन के संबंध में, वाहन का कुल भार और पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत भार उस वाहन के लिए अनुमेय है।

26. चूँकि, यह विवाद का विषय नहीं है और अभिलेखों से भी स्पष्ट है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास घटना के प्रासंगिक समय पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन चलाने का वैध लाइसेंस था। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विधि के सिद्धांत के अनुसार, 'भुगतान और वसूली' के संबंध में, न्यायालय ने बीमा कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक से बीमा कंपनी द्वारा दावेदारों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि वसूलने की स्वतंत्रता नहीं दी।

27. इस अपील में न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि "*क्या विद्वान न्यायाधिकरण ने दावेदारों को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान की है?*" क्षतिपूर्ति शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें क्षतिपूर्ति का दावा भी शामिल है। अधिनियम की धारा 166 के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के दावे में दावेदार 'उचित' क्षतिपूर्ति का हकदार है जो न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। जीवन और अंगों की हानि की कभी भी समान रूप से भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन यह अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य दावेदारों को परिवार के सदस्य की हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना, किसी न किसी रूप में नुकसान की भरपाई करना और दावेदारों को उचित सीमा तक मुआवजा देना है। हालाँकि, मुआवजे का निर्धारण सटीक नहीं है क्योंकि पूर्ण मुआवजा शायद ही संभव हो। इस प्रकार निर्धारित मुआवजे की राशि में निष्पक्षता का तत्व ही अंतिम मार्गदर्शक कारक है। न्यायालय या न्यायाधिकरण को नुकसान का निष्पक्ष मूल्यांकन तर्कसंगतता के साथ करना होगा।

28. मुआवजे की राशि का निर्धारण पीड़ित की मृत्यु के कारण आश्रितों को हुई आर्थिक हानि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। **सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन**

निगम एवं अन्य (2009) 6 एससीसी 121 में रिपोर्ट किया गया, यह देखा गया कि जहाँ वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है, वहाँ "वास्तविक वेतन" शब्द को वास्तविक वेतन में से कर घटाकर पढ़ा जाना चाहिए। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680** में रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि वास्तविक वेतन को कर-कटौती के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

29. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मीनाक्षी बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1872** में रिपोर्ट किए गए) के निर्णय में यह माना है कि मकान किराया भत्ता, लचीली लाभ योजना और कंपनी के भविष्य निधि में योगदान के घटकों को मृतक के वेतन में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि भविष्य में वृद्धि के घटक को आश्रितता कारक निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नलिनी एवं अन्य (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2252** में रिपोर्ट किए गए) के 11.07.2024 के निर्णय का भी हवाला दिया। जिसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आश्रितता कारक निकालने के लिए पीड़ित/मृतक के मूल वेतन को ध्यान में रखते हुए परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि ऋण, भविष्य निधि और विशेष भत्ते के अंतर्गत भत्ते जोड़े जाने चाहिए।

30. वर्तमान मामले में, दावेदारों की संख्या तीन है जो मृतक पर आश्रित हैं। परिणामस्वरूप, **सरला वर्मा** (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **प्रणय सेठी** (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ के निर्णय के मद्देनजर कि जहाँ आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 और 3 के बीच है, मृतक के व्यक्तिगत और जीवनयापन व्यय के लिए कटौती 1/3 होनी चाहिए। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की आय से व्यक्तिगत और जीवनयापन व्यय के लिए 1/3 की कटौती उचित है और इस संबंध में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

31. वर्तमान मामले में, दावेदारों ने मुआवजे के निर्धारण हेतु मृतक की आय साबित करने के लिए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (विस्तार-3) प्रस्तुत किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार मासिक वेतन 39,173 रुपये था। उसकी वार्षिक आय 4,70,000 रुपये (पूर्णांकित) होगी और संबंधित निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर दर के अनुसार देय

आयकर 27,000 रुपये होगा। इस प्रकार, मृतक की शुद्ध वार्षिक आय 4,43,000 रुपये (4,70,000 रुपये - 27,000 रुपये) होगी।

32. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 43 वर्ष थी और तदनुसार, **सरला वर्मा** (*सुप्रा*) और **प्रणय सेठी** (*सुप्रा*) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रयुक्त गुणक 15 के बजाय 14 (41 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लिए) होगा। तदनुसार, पंचाट में प्रयुक्त गुणक को 15 से 14 तक संशोधित करने की आवश्यकता है।

33. पारंपरिक या परम्परागत मदों के अंतर्गत, अर्थात् संपत्ति की हानि, संघ की हानि और अंतिम संस्कार व्यय, को **प्रणय सेठी** (*सुप्रा*) में क्रमशः 15,000/- रुपये, 40,000/- रुपये और 15,000/- रुपये की निश्चित उचित राशियों के साथ परिमाणित किया गया है ताकि इन मदों में एकरूपता लाई जा सके, जिन्हें तीन वर्षों की अवधि में 10% की दर से बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोमवती एवं अन्य (2020) 9 एससीसी 644** में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया जिसमें **प्रणय सेठी** (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय भी शामिल है, जिसमें पैरा 52 में यह राय दी गई है कि पारंपरिक मदों, जैसे, "संपत्ति की हानि", "संघ की हानि" और "अंतिम संस्कार व्यय" के उचित आंकड़े क्रमशः 15,000/- रुपये, 40,000/- रुपये और 15,000/- रुपये होने चाहिए। पैरा 59.8 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि पारंपरिक मद की राशि को हर तीन साल में 10% की दर से बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने आगे **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम (2018) 18 एससीसी 130** में दिए गए दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें **प्रणय सेठी** (सुप्रा) में दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मृतक के पिता और बहन को 40,000/- रुपये प्रति व्यक्ति का मुआवजा दिया गया था। इसके बाद, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर @ सतविंदर कौर एवं अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसला सुनाया गया। रिपोर्ट (2021) 11 एससीसी 780 में संदर्भित किया गया है जिसमें मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की गई और "कंसोर्टियम" शब्द की व्यापक व्याख्या को अनुमोदित किया गया जिसमें पति-पत्नी का कंसोर्टियम, माता-पिता का कंसोर्टियम और

संतान का कंसोर्टियम भी शामिल है और पैरा 87 में इस प्रकार, तीनों दावेदारों को "कंसोर्टियम" प्रदान किया गया। सोमवती मामले (सुप्रा) में माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रणय सेठी (सुप्रा) के निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि यह यह प्रस्ताव रखता है कि कंसोर्टियम केवल पत्नी को देय है। माननीय न्यायालय ने सतिंदर कौर (सुप्रा) में आगे कहा कि स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पति-पत्नी के कंसोर्टियम के अलावा, माता-पिता और संतान का कंसोर्टियम देय है और तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय बाध्यकारी है।

34. जहाँ तक पारंपरिक या परम्परागत शीर्षक का संबंध है, ऊपर वर्णित विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के मद्देनजर, विद्वान न्यायाधिकरण ने उचित मुआवजा नहीं दिया है और इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। मृतक विजय कुमार जायसवाल अपने पीछे पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को आश्रित के रूप में छोड़ गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रणय सेठी (सुप्रा), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम (2018) 18 एससीसी 130, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर @ सतविंदर कौर एवं अन्य (2021) 11 एससीसी 780) और रोजलाइन नायक एवं अन्य अजीत साहू एवं अन्य (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1901) में दिए गए निर्णयों के आधार पर, परम्परागत शीर्षक के तहत निम्नलिखित राशियाँ मुआवजे के रूप में प्रदान की जाती हैं:

क्रमांक	शीर्ष	गणना	मुआवज़ा
1	संपत्ति की हानि	₹15,000/- 10% की वृद्धि दो बार	₹18,150/-
2	कंसोर्टियम का नुकसान	₹40,000/- + 10 प्रतिशत को दो बार बढ़ाएँ।	₹ 1,45,200- (48,400 x 3)
3	अंतिम संस्कार का	₹15,000/- दो बार 10 प्रतिशत	₹18,150/-

	खर्च	बढ़ाएँ	

35. इस प्रकार, देय मुआवजे की कुल राशि निम्नानुसार होगी:

क्रमांक	**शीर्ष**	**दिया गया मुआवजा**
1	मासिक वेतन	₹ 39,173/-
2	वार्षिक आय	₹ 4,70,000- (पूर्णांकित)
3	घटाएँ: आयकर	₹ 27,000/-
4	वार्षिक सकल आय	₹ 4,43,000/- (4,70,000-₹ 27,000)
5	घटाएँ: 1/3 व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती	₹ 1,47,667-(₹ 4,43,000-का एक तिहाई)
6	कटौती के बाद कुल वार्षिक आय	₹ 2,95,333-(₹ 4,43,000- रु. 1,47,667-)
7	भविष्य की संभावनाएं	₹ 88,600/- (रु. का 30 प्रतिशत.)
8	गुणक	14
9	निर्भरता का नुकसान	₹ 53,75,062/- (रु. 3,83,933-x 14)
10	अंतिम संस्कार का खर्च	₹ 18,150/-

8	संपत्ति का नुकसान	₹ 18,150/-
9	संघ का नुकसान	₹ 1,45,200-(रु.48,400 x 3)
10	कुल मुआवजा	₹ 55,56,562/- (रु. 53,75,062/- + रु. 1,81,500-)
11	कमः *अधिनियम* की धारा 140 के तहत भुगतान किया गया अंतरिम मुआवजा	₹ 50,000/-
12	**कुल देय क्षतिपूर्ति**	₹**55,06,562** (₹55,56,562- ₹ 50,000)

अपीलकर्ता/दावेदार कुल 55,06,562/- रुपये के मुआवजे के हकदार हैं, जिस पर दावा दायर करने की तिथि से उसकी वसूली तक 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा, जिसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि को समायोजित किया जाएगा।

36. विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 23.01.2018 का निर्णय और दिनांक 31.01.2018 का पंचाट केवल पूर्वोक्त सीमा तक ही संशोधित माना जाएगा। तदनुसार, इस अपील का निपटारा आक्षेपित निर्णय और पंचाट में पूर्वोक्त संशोधन के साथ किया जाता है।

37. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

38. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.08.2024 के आदेश द्वारा निष्पादन वाद संख्या 53/2018 की कार्यवाही पर लगाई गई रोक निरस्त की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाएगा।

39. बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह पूर्वोक्त आदेश के अनुसार बकाया राशि का भुगतान आज से दो महीने के भीतर करे।

40. विचारण न्यायालय के अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस कर दिए जाएँ।

41. अपीलकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा अपील दायर करते समय जमा की गई वैधानिक राशि, बीमा कंपनी द्वारा दावेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे के समायोजन हेतु, आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वान न्यायाधिकरण को प्रेषित की जाएगी।

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

आशीषकर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।